Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **सवाई माधोपुर में खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उपखण्ड गंगापुर सिटी को 25,000/– रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया**

जयपुर, 23 फरवरी 2026, सोमवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी सवाई माधोपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये **डॉ बत्तीलाल मीना, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उपखण्ड गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर** द्वारा परिवादिया से **25,000/– रुपये** रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया ।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि एसीबी चौकी सवाई माधोपुर को एक शिकायत इस आशय कि मिली कि परिवादिया से व्यवस्थार्थ पदस्थापन स्थान से मूल पदस्थापन स्थान पर लगाने की एवज में 30,000/– रुपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है,वक्त सत्यापन 5,000/– रूपये प्राप्त करना व उक्त मांग के अनुसरण में शेष रिश्वती राशि 25,000/– रूपये आज प्राप्त किये।

जिस पर एसीबी रेंज भरतपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस डॉ. रामेश्वर सिंह** के सुपरविजन में एसीबी सवाई माधोपुर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ज्ञान सिंह चौधरी** द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये डॉ बत्ती लाल मीणा, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उपखण्ड गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर को परिवादिया से 25,000/– रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों डिटेन किया गया है।

ए.सी.बी. की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमति स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरविजन एवं **महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेश सिंह** के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। ए.सी.बी. द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।